श्रीराम चरण पादुका अभियान...

सेवा बस्तियों में निर्धन वर्ग के लोगों को राम के नाम पर पादुका भेट करना ही अभियान का उद्देश्य- जैन

धार। जिले में राम चरण पादुका अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसका उद्देश्य जिले की गरीब निचली बस्तियों में निवास कर रहे निर्धन परिवार के लोगों को चप्पल (पादुका) भेट करना है। जिले में बड़ी संख्या में निचली बस्तियों में परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे है विडंबना है कि बच्चों का पालन पोषण करने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है ऐसे परिवार के लोगों जैसे वृद्ध, बच्चे ,महिलाओं को चप्पल भेट करना है।

उल्लेखनीय है कि शहर की राजवाड़ा चौक सेवा समिति धार के द्वारा वीर सावरकर जयंती के अवसर पर गुरुवार को वीर सावरकर प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद धारेश्वर मंदिर प्रांगड़ स्थित श्री राम मंदिर से राम चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई। समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता नवनीत जैन (बल्लू भैया) ने बताया कि कई बार शहर की सेवा बस्तियों में बच्चों, महिलाओं को भीषण गर्मी में नंगे पैर घूमते-काम करते हुए देखा गया उसके बाद ही समिति ने प्रण लिया कि सेवा के उद्देश्य से जिलेभर में अभियान चलाकर ऐसे परिवारों को पादुका (चप्पल) भेंट की जायेगी। गुरुवार को वीर सावरकर जयंती के अवसर पर श्री राम को आदर्श मानकर राम चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई। जिसमें बड़ी संख्या ने आस-पास की बस्तियों से बच्चे महिला पादुका लेने के लिए मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए। अध्यक्ष नवनीत जैन एवं अनिल बोरदिया ने नंगे पैर आए बच्चों को अपने हाथों से पादुका पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष नवनीत जैन, संघ के धर्म प्रचार प्रमुख अनिल बोरदिया, दीपक बोरासी , उदय सिंह ठाकुर ऋतुराज देवड़ा अमित शर्मा, कान्हा रानोजा, राकेश चौहान, चेतन राठौर, अभिषेक मिश्रा, वीरेंद्र ठाकुर , अविनाश डावर, श्याम वास्केल सचिन मालवीय, मनीष चौहान, दीपक गहलोत, प्रथम तिवारी, लक्ष्मी रघुवंशी, सचिन रघुवंशी,धर्मेंद्र चौहान लोकेंद्र सिंह तोमर सलोनी राठौर, राकेश चौहान उपस्थित रहे।

सावित्री ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की भेंट

मां वाग्देवी की प्रतिमा को शीघ्र ही लंदन से वापस भारत लाने हेतु सौंपा पत्र

धार। धार महू लोकसभा क्षेत्र की माननीय सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर जी ने आज नई दिल्ली में भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से सौजन्य भेंट की। उन्होंने धार स्थित ऐतिहासिक एवं आस्था के केंद्र भोजशाला सरस्वती मंदिर में विराजमान रहीं माँ वाग्देवी की प्रतिमा, जो वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में संरक्षित है, उसे पुनः भारत लाकर भोजशाला में स्थापित किए जाने हेतु पत्र सौंपकर आग्रह किया है।

इस अवसर पर श्रीमती सावित्री ठाकुर ने माननीय श्री शेखावत जी को धार आगमन कर ऐतिहासिक स्थल भोजशाला का अवलोकन करने हेतु भी आमंत्रित किया है जिससे भविष्य में यह मंदिर एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में व्यापक रूप से विकसित सकेगा। श्री शेखावत जी ने इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार करते हुए आगामी जून माह में धार आगमन की सहमति प्रदान की है। भेंट के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहरों को पुनः भारत लाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उनके प्रयासों से विगत वर्षों में अनेक दुर्लभ एवं बहुमूल्य ऐतिहासिक प्रतिमाओं और धरोहरों को विदेशों से वापस भारत लाया गया है तथा इसी क्रम में माँ वाग्देवी की प्रतिमा को भी शीघ्र भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है। श्रीमती सावित्री ठाकुर जी ने कहा कि भोजशाला केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है। न्यायालय द्वारा भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित किया जाना सनातन संस्कृति एवं सत्य की बड़ी विजय है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी भी भोजशाला एवं माँ वाग्देवी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना को लेकर निरंतर गंभीर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि माँ वाग्देवी की प्रतिमा का पुनः भारत आगमन प्रत्येक सनातन प्रेमी के लिए गर्व एवं भावनात्मक आस्था का विषय है। यह केवल प्रतिमा की वापसी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और गौरव की पुनर्स्थापना का भी प्रतीक होगा। श्रीमती सावित्री ठाकुर जी ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से माँ वाग्देवी की प्रतिमा शीघ्र ही भारत वापस आएगी तथा भोजशाला में पुनः विधिवत स्थापित होकर श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ प्राप्त होगा।

खलघाट में यशराज ढाबे पर शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

खलघाट (नगीन सोनी)। बॉम्बे-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित खलघाट चौराहे के समीप यशराज ढाबे पर बीती रात्रि अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे ढाबे में रखा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। आगजनी की घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग की चपेट में आने से ढाबे पर रखे दो से तीन फ्रिज पूरी तरह जल गए। वहीं टेबल, कुर्सियां, जूस बनाने की मिक्सर मशीन, खाने-पीने का सामान एवं अन्य जरूरी सामग्री भी नष्ट हो गई। ढाबा संचालक जगदीश वर्मा ने बताया कि आगजनी की इस घटना में करीब ढाई से तीन लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि समय रहते गैस की टंकियों को बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों की सूझबूझ से गैस टंकियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं सुबह घटना स्थल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। क्षेत्रीय पटवारी विजय खोड़े भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया।

धार जिले में 'पीएम राहत योजना' अंतर्गत अब तक 140 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिला मुफ्त इलाज

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के निदेशक दुग्गर ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा

धार। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (रूश्वत्रञ्ज॥) द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी 'पीएम राहत योजना' (प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल उपचार एवं सुनिश्चित उपचार योजना) के जिले में शत-प्रतिशत और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई।

केंद्रीय मंत्रालय के निदेशक श्री अंकित दुग्गर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले से कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा एवं जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ) श्री हृदेश यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। योजना के लॉन्च होने के पश्चात से आज तक धार जिले में कुल 140 सड़क दुर्घटनाओं में घायल पीड़ितों को इस योजना के तहत त्वरित कैशलेस उपचार का लाभ दिया जा चुका है। योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए केंद्रीय निदेशक ने मैदानी अमले और निजी व शासकीय अस्पतालों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिले के सभी आयुष्मान सूचीबद्ध और नामित अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि सड़क दुर्घटना के मरीज के आते ही बिना किसी कागजी औपचारिकता या एडवांस पैसों की मांग किए तुरंत इलाज शुरू किया जाए। 'गोल्डन ऑवर' (दुर्घटना का पहला एक घंटा) में इलाज में देरी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही और लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर 'श्वक्रस्स-112' के माध्यम से मरीज को अस्पताल भिजवाएं और 24 घंटे के भीतर 'द्बक्रड्ड' पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि कर 'पीड़ित आईडी' जनरेट करें, ताकि क्लेम में देरी न हो। स्वास्थ्य विभाग और आरटीओ को निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों द्वारा भेजे गए क्लेम (दवा व उपचार खर्च) का सत्यापन कर 10 दिनों के भीतर मोटर वाहन दुर्घटना निधि से अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी पीड़ित को इस योजना का लाभ मिलने में परेशानी आती है, तो वह 'जिला सड़क सुरक्षा समिति' द्वारा नामित शिकायत निवारण अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसका निराकरण त्वरित रूप से किया जाएगा। बैठक में निदेशक श्री अंकित दुग्गर ने बताया कि देश में प्रतिवर्ष होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज न मिलने के कारण कई नागरिक जान गंवा देते हैं। अध्ययनों के अनुसार, यदि दुर्घटना पीड़ित को पहले एक घंटे (गोल्डन ऑवर) के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाए, तो लगभग 50 प्रतिशत मौतों को टाला जा सकता है। इसी नागरिक-प्रथम दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने 'पीएम राहत योजना' की शुरुआत की है।

सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित (चालक, यात्री या पैदल यात्री) को प्रति दुर्घटना अधिकतम ?1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार दिया जा रहा है। इसके लिए पीड़ित की उम्र, आय या राष्ट्रीयता की कोई बाध्यता नहीं है। योजना के तहत दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक अस्पताल में मुफ्त उपचार की सुविधा मिलती है। यह योजना भारत की किसी भी श्रेणी की सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, या शहरी/ग्रामीण सड़कें) पर होने वाली दुर्घटनाओं पर समान रूप से लागू है। द्बक्रड्ड और ञ्जरूस् का डिजिटल नेटवर्क (पेपरलेस प्रणाली) योजना को पूरी तरह पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए दो मजबूत तकनीकी प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ा गया हैः दुर्घटना होने पर पुलिस विभाग सड़क परिवहन मंत्रालय के इस पोर्टल पर त्वरित प्रविष्टि दर्ज कर 'पीड़ित आईडी' जनरेट करता है। इस आईडी के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के

तेंदुए से वीरतापूर्वक लड़ने वाले वनरक्षक दद्दूसिंह ठाकुर को 25,000 की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत

धार। वन मण्डल धार के अंतर्गत परिक्षेत्र धामनोद में ग्रामीणों की जान बचाते हुए तेंदुए का बहादुरी से सामना करने वाले वनरक्षक श्री दद्दूसिंह ठाकुर को वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (ङ्ख्ञढ्ढ), नई दिल्ली द्वारा 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। वन मण्डलाधिकारी धार श्री विजयानंथन टी.आर. के विशेष प्रयासों और त्वरित पत्राचार के बाद यह राशि सीधे वनरक्षक के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है।

उल्लेखनीय है कि गत 22 अप्रैल 2026 को राजस्व क्षेत्र ग्राम गुजरी (डेहरिया) के डाक बंगले के पास एक तेंदुए द्वारा तीन ग्रामीणों को घायल करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही वन अमला तत्काल मौके पर पहुंचा था। तेंदुआ डाक बंगले के पास एक मकान में घुसा हुआ था, जिसकी वन अमले द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही थी। निगरानी के दौरान मकान के पीछे से अचानक तेंदुए ने ढाल बीट के बीटगार्ड श्री दद्दूसिंह ठाकुर पर हमला कर दिया। श्री ठाकुर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए और ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए तेंदुए का साहस से सामना किया। इस हमले में उनके पेट, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। मौके पर उपस्थित अन्य वनकर्मी ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें तेंदुए के चंगुल से बचाया और तत्काल शासकीय अस्पताल धामनोद पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका उपचार किया गया। कर्तव्य के दौरान घायल होने वाले वनकर्मियों को प्रोत्साहन देने वाली संस्था वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (ङ्ख्ञढ्ढ) नई दिल्ली से श्री ठाकुर को सहायता दिलाने के लिए वन मण्डलाधिकारी श्री विजयानंथन टी.आर. द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3181 तिथि 22 मई 2026 के माध्यम से अपील की गई थी।डब्ल्यु.टी.आई. नई दिल्ली द्वारा वनरक्षक के इस अदम्य साहस और अनुकरणीय कार्य को देखते हुए 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर उनके खाते में जमा करा दी गई है।

जल की हर बूंद अमूल्य, जल सेवा ही सच्चा मूल्य

धार। जल की हर बूंद अमूल्य है, जल सेवा ही सच्चा मूल्य है।' इन पंक्तियों को सार्थक करते हुए धार की भोजशाला के बाहर स्थित ज्योति मंदिर पर स्वर्गीय अरविंदकांत भागीरथ जी बोरदिया की स्मृति में पीने के पानी हेतु वाटर कूलर उनके सुपुत्र अनिल जी बोरदिया द्वारा भेंट किया गया । जिसका शुभारंभ अखिलभारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष , निरंजनी अखाड़ा परिषद के सचिव , मंसादेवी हरिद्वार ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री रवींद्र पूरी जी महाराज श्री के करकमलों द्वारा किया गया । भोजशाला में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन बढ़ती संख्या को निश्चित ही इस से बहुत लाभ मिलेगा । स्वर्गीय अरविंदकांत जी वर्ष 2004 में हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष रहे एवं अपने जीवन में कही प्रकार के सेवा कार्य , दान - धर्म जैसे सार्थक कार्य अपने जीवन में करते रहे । इस अवसर पर महेश जी अग्रवाल , अरविंद जी चौधरी एवं नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे ।

माय भारत पोर्टल से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनें युवा

सावरकर जयंती पर धार में संगोष्ठी

धार। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के 'मेरा युवा भारत' धार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी और अद्वितीय विचारक विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) की जयंती के अवसर पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम खेल और युवा कल्याण विभाग के 'आरोह 2026' समर कैंप (स्क्क्ष ग्राउंड) में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ वीर सावरकर जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हाई कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता श्री अंशुल राजपुरोहित का स्वागत ब्लॉक समन्वयक अनिरुद्ध चावड़ा ने किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता श्री अंशुल राजपुरोहित ने कहा कि 'वीर सावरकर का पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित था। सावरकर जी ने न केवल देश की आजादी के लिए अंडमान की सेल्युलर जेल में 'काला पानी' की अमानवीय यातनाएं सहीं, बल्कि उन्होंने समाज में फैले छुआछूत और जातिवाद जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी पुरजोर आवाज उठाई। उनका राष्ट्रवाद और सामाजिक चिंतन आज के युवाओं के लिए मार्गदर्शक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माय भारत की जिला युवा अधिकारी श्रीमती दीर्घा राजावत ने अपने संबोधन में युवाओं को विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने 'मेरा युवा भारत' द्वारा वर्षभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और पोर्टल के माध्यम से संचालित होने वाली योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। साथ ही, उन्होंने उपस्थित सभी युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'माय भारत पोर्टल' पर अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग की जिला कोऑर्डिनेटर शालिनी मिश्रा सहित बड़ी संख्या में शिविर के प्रतिभागी और स्थानीय युवा उपस्थित रहे।

SMFG India Credit | **SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED**

कार्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल आफिस क्र. 101, 102 व 103, 2 नार्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स बांद्रा (ई), मुंबई - 400051

डिमांड नोटिस

अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम")

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट)** के द्वारा अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 13 (12) सहपठित नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए निम्न ऋणीगण को अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी कर संबंधित नोटिसों में वर्णित बकाया राशि की नोटिस प्राप्त होने से 60 दिवस की अवधि में भुगतान किये जाने की मांग की थी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस बात का यकीन हो गया है कि ऋणीगण इन डिमांड नोटिसों की तामिली नहीं होने दे रहे हैं। अतः इन नोटिसों की तामिली नियमों के तहत चस्पा एवं प्रकाशन के द्वारा कराई जा रही है। डिमांड नोटिस में प्रदत्त विवरण का सार निम्नानुसार हैः-

ऋणीगण का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि
1. विषम्पमा कलेक्शन 2. पूजा सुरेश 3. कुंदन मंडलोई LAN- 213120911048275	14 मई 2026 रुपये 2,622,061.00/- (छब्बीस लाख बाइस हजार एकसठ सिर्फ) दिनांक 06-05-2026 तक
बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण	
सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती पूजा मंडलोई एच/ओ कुंदन मंडलोई, ग्राम आसूखेड़ी, प.ह.नं. 62/124, आबादी सर्वे क्रं. 205 स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं व्यवसायिक दुकान, 34X55, 1870 वर्गफीट, अर्थात 173.72 वर्गमीटर, 100 वर्गफीट की दुकान एवं शेष 1770 वर्गफीट का निर्मित भवन, पंचायत रजिस्टर क्रमांक 52/2021, भवन क्रमांक 36, वार्ड क्रं. 4 आसूखेड़ी तहसील पीथमपुर जिला धार मध्यप्रदेश, पूर्व : रामचंद्र वर्मा का भवन, पश्चिम : सार्वजनिक सड़क, उत्तर : श्री रामजी की भूमि, दक्षिण : शांतिलाल मंडलोई का मकान।	
1.श्री सांई प्रोविजन 2. वीरेन्द्र वर्मा 3. ममता वीरेन्द्र LAN- 213120911742428	14 मई 2026 रुपये 2,970,705.00/- (उन्तीस लाख सत्तर हजार सात सौ पांच सिर्फ) दिनांक 06-05-2026 तक
बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण	
सम्पत्ति के स्वामी : वीरेन्द्र वर्मा ग्राम महूगांव, तहसील महू, जिला इंदौर मध्यप्रदेश स्थित डायमंड कॉलोनी के भूखंड क्रं. 3 पूर्वी भाग 750 वर्गफीट अर्थात 69.70 वर्गमीटर पर निर्मित व स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्व : भूखंड क्रं. 2, पश्चिम : इस भूखंड का शेष भाग (पश्चिमी भाग), उत्तर : महू-नीमच मेनरोड, दक्षिण : भूखंड क्रमांक 33	
1. शैफाली जनरल स्टोर्स 2. शैफाली पाराशर, 3. सपना पाराशर LAN- 213121310895056	14 मई 2026 रुपये 4,805,534.00/- (अड़तालीस लाख पांच हजार पांच सौ चौतीस सिर्फ) दिनांक 06-05-2026 तक
बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण	
सम्पत्ति के स्वामी : शैलेष पाराशर एवं सपना पाराशर। भवन क्रमांक 9 सुदामा नगर इन्दौर मध्यप्रदेश स्थित दुकान क्रं. एस-2 पर स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 144 वर्गफुट, पूर्व : सड़क, पश्चिम : भूमि का शेष भाग, उत्तर : सर्विस रोड, दक्षिण : दुकान क्रमांक एस-1	
1. सूरज गृह उद्योग 2. राजेश खोरे, 3. ममता खोरे LAN- 216121310945420	14 मई 2026 रुपये 4,207,461.00/- (बयालीस लाख सात हजार चार सौ इकसठ सिर्फ) दिनांक 06-05-2026 तक
बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण	
सम्पत्ति के स्वामी : राजेश खोरे, सांदीपनि नगर स्थित भूखंड/भवन क्रं. 91, एलआईजी फर्स्ट स्थित व उसपर निर्मित सम्पूर्ण सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर, पूर्व : एलआईजी फर्स्ट भूखंड क्रं. 92, पश्चिम : एलआईजी फर्स्ट भूखंड क्रं. 90, उत्तर : ईडब्ल्यूएस भूखंड, दक्षिण : 09 मीटर रोड	
1. समीक्षा साड़ी 2. विनोद गिरधर 3. पूजा चौहान LAN- 173701311205020 एवं 173701311535456	14 मई 2026 रुपये 8948151/-(उननब्बे लाख अड़तालीस हजार एक सौ इक्यावन सिर्फ) दिनांक 06-05-2026 तक
बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण	
सम्पत्ति की स्वामी : पूजा चौहान, भवन क्रमांक 956, सर्वे नंबर 570/1 पैकी, वार्ड क्रमांक 11, पुराना वार्ड क्रमांक 10, बेटमा रोड, देपालपुर म्युनिसिपल, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर स्थित व उस पर निर्मित सम्पूर्ण सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 720 वर्गफीट जो कि 60X12 है। पूर्व : रंजीतसिंह का मकान, पश्चिम : छगनलाल का मकान, उत्तर : कांताबाई पति छगनलाल का मकान, दक्षिण : तहसील रोड।	

ऋणीगण को सलाह दी जाती है कि वे डिमांड नोटिस का अनुपालन करते हुए डिमांड नोटिस में वर्णित बकाया मांग की गई राशि का इस नोटिस प्रकाशन से 60 दिवस की अवधि में बकाया राशि में भुगतान तिथि तक प्रचलित दर पर ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अनादरण शुल्क, व्यय एवं अन्य खर्चों को जोड़कर कुल बकाया राशि का भुगतान कर दें। ऋणीगण ध्यान दें कि **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** प्रतिभूति लेनदार है व ऋणीगण द्वारा ली गई ऋण सुविधा प्रतिभूत ऋण व ऋणीगण द्वारा बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियाँ प्रतिभूत आस्ति हैं।

ऋणीगण द्वारा निर्धारित अवधि में संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने के दायित्व में विफल हो जाने पर **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** के पास अधिनियम की धारा 13(4) में उपलब्ध समस्त उपचारों-अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार रहेगा तथा प्रतिभूत आस्ति का आधिपत्य प्राप्त करने जो कि अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत नियमों में प्रावधानों के तहत किसी भी अन्य उपायों व बकाया राशि की वसूली हेतु उसका विक्रय करने तक ही सीमित नहीं रहेगा। **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** के पास प्रतिभूत आस्ति को विक्रय या अंतरित करने से पूर्व **कुर्की एवं/अथवा सील** करने का भी अधिकार है। प्रतिभूत आस्ति को विक्रय करने के पश्चात अगर बंधक सम्पत्ति से बकाया राशि की पूर्ति नहीं होती है तो **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** के पास बकाया का राशि की वसूली हेतु पृथक न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकार भी प्राप्त है। **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** के पास उपलब्ध यह उपचार किसी भी अन्य विधान में उपलब्ध उपचार से अतिरिक्त व स्वतंत्र है। ऋणीगण का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) में प्रतिभूत आस्ति को बकाया राशि का भुगतान कर वापस प्राप्त करने हेतु उपलब्ध समय अवधि की तरफ भी आकर्षित किया जाता है। अधिनियम की धारा 13(13) के तहत ऋणीगण को प्रतिभूत आस्ति का विक्रय करने या किसी भी तरह के संव्यवहार से विक्रय, लीज या अन्य किसी तरीके से (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया से अलग) **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** की बगैर अनुमति के अंतरित करने से प्रतिबंधित/प्रतिषिद्ध किया जाता है। इसका अनुपालन नहीं करने का कोई भी कृत्य अधिनियम की धारा 29 के तहत अपराध होगा। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, ऋणीगण चाहें तो इस प्रति को अधोहस्ताक्षरकर्ता से सामान्य कार्य दिवस में कार्यालयों में समय के दौरान प्राप्त कर सकते है।

स्थान : इन्दौर/उज्जैन
तिथि : 30-05-2026

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड